स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

आवासन और शहरी
कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस)

स्कीम की मुख्य विशेषताएं

कवरेज

जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बे और तदुपरांत अधिसूचित कस्बों सहित अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्र तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य विधायिका के अधीन किसी ऐसे प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्र के भीतर आ रहे क्षेत्र।

प्रयोजन

नए निर्माण, अधिग्रहण तथा संवर्धन आवास के रूप में मौजूदा रिहायशी ईकाइयों में अतिरिक्त कमरों, किचन, शौचालय आदि का निर्माण।

लाभार्थी

- एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/अथवा अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगे। कमाने वाले किसी वयस्क सदस्य (वैवाहिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना) को पृथक परिवार के रूप में माना जा सकता है।
- विवाहित दंपत्ति के मामले में, पति–पत्नी में से एक अथवा उनके संयुक्त स्वामित्व में एकल घर के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि इस स्कीम के अंतर्गत परिवार की आय इस योजना की पात्रता के अधीन हो।
- लाभार्थी परिवार के पास भारत के किसी भाग में उसके अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाई) नहीं होना चाहिए।
- ईडब्ल्यूएस परिवार 3,00,000/–रू. तक की वार्षिक आय वाले परिवार कहे जाते हैं।
- एलआईजी परिवार 3,00,001/–लाख रूपए से 6,00,000/–रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार कहे जाते हैं।
- स्कीम के अंतर्गत हाथ से मैला ढोने वाले व्यक्तियों, महिलाओं (विधवाओं को इनमें वरीयता दी जाएगी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग व्यक्तियों और उभयलिंगियों को वरीयता दी जाएगी बशर्ते लाभार्थी ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों से संबंधित हो।

स्कीम का ब्यौरा

निम्नलिखित विशेषताओं वाले लाभार्थी ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगे:

विवरण	ईडब्ल्यूएस	एलआईजी
घरेलू आय (रूपए प्रति वर्ष)	3,00,000 तक	3,00,001–6,00,000
ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र आवास ऋण राशि (रूपए)	6,00,000	6,00,000
ब्याज सब्सिडी (% प्रतिवर्ष)	6.5%	6.5%
रिहायशी यूनिट कारपेट क्षेत्र	30 वर्ग मीटर	60 वर्ग मीटर

*इन ऋणों के अंतर्गत लाभ अधिकतम 20 वर्ष की ऋण अवधि के लिए उपलब्ध है।

क्षेत्र जिसका निर्माण किया जा सकता है

- मिशन के इस घटक के अंतर्गत निर्माण किए जा रहे आवास का कारपोट क्षेत्र 30 वर्ग मीटर तक होना चाहिए ।
- लाभार्थी अपने विवेकानुसार बड़े क्षेत्र के आवास का निर्माण कर सकता है किन्तु ब्याज सब्सिडी पहले 6 लाख रूपए तक ही सीमित होगी। विर्निदिष्ट सीमा से अधिक अतिरिक्त ऋण यदि कोई हो, गैर–सब्सिडाइज्ड दर पर होगा।
- संवर्धन आवास/विस्तार के लिए क्षेत्र की सीमा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए क्रमशः 30 वर्ग मीटर और 60 वर्ग मीटर होगी ।

कार्यान्वियन

- ब्याज सब्सिडी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं(पीएलआई) के माध्यम से लाभार्थियों के ऋणखाते में सीधे जमा कर दी जायेगी, इससे प्रभावी आवास ऋण और समान मासिक किस्तें (ईएमआई) कम हो जायेंगी।
- प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं का चयन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारिता बैंक, शहरी सहकारिता बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी–लघु वित्त संस्था (एनबीएफसी–एमएफआई) अथवा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा चयनित किसी अन्य संस्था के रूप में किया जाता है।
- दोहरेकरण से बचने के लिए पीएलआई लाभार्थी परिवार को आधार संख्या के ब्यौरे से सम्बद्ध करेंगे।

केन्द्रीय नोडल एजेंसियां

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्ण स्वामित्व)
कोर–5–1, इंडिया हैबिटाट सेंटर,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800–11–3377/88
E-mail: clssim@nhb.org.in

आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर–7 ए, इंडिया हैबिटाट सेंटर,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800–11–6163
E-Mail: hudconiwas@hudco.org

भारतीय स्टेट बैंक
रियल एस्टेट और हाउसिंग बिजनेस यूनिट
पीएमएवाई–सीएनए सेल
9 वीं मंजिल, एयर इंडिया बिल्डिंग,
नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021
टोल फ्री हेल्पलाइन सं: 1800–11–2018
E-Mail: clss.pmayurban@sbi.co.in

सबका सपना..... घर हो अपना